

प्रेषक,

मोहन लाल,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महालेखाकार,  
लेखा एवं हकदारी(प्रथम),  
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2010.

विषय:- उ०प्र०श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०,लखनऊ के लिये कोषागार,जवाहर भवन लखनऊ में लेखाशीर्षक 8443 में एक नया वैयक्तिक लेखा खाता खोलने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उ०प्र०श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०,लखनऊ, जिसे वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-372/दस-2010, दिनांक 24मई, 2010 द्वारा राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित किया गया है, के प्रबन्ध निदेशक, मुख्य अभियन्ता एवं लेखाकार,उ०प्र०श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ के पद नाम से संयुक्त रूप में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट-20 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ में निम्नांकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत नया वैयक्तिक लेखा खाता खोले जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

मुख्य लेखा शीर्ष - 8443- सिविल जमा  
उप मुख्य लेखा शीर्ष - 00  
लघु शीर्ष - 800- अन्य जमा

2- अतः अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के लिये उ०प्र०श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०,लखनऊ हेतु नया वैयक्तिक लेखाखाता खोलते हुए वित्तीय वर्ष 2010-11 के संचालन हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वित्त ए-1-496 /दस-2010, दिनांक 20-12-2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( मोहन लाल )  
विशेष सचिव।


.....2/-

पृष्ठांकन संख्या-3062 (1)/49-3-2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 2- निबन्धक,सहकारी समितियों,उ०प्र० लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 4- वित्त लेखा अनुभाग-1
- 5- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०,लखनऊ।
- 7- वेब मास्टर, निबन्धक सहकारी समितियों,उ०प्र०लखनऊ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
( जितेन्द्र सिंह )  
संयुक्त सचिव।